सं0 735/उन्तीस(2)/06-2(15पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक27मार्च, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 साल्ट एवं स्याल्दे के अन्तर्गत बरकिण्डा मनीला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1662/उन्तीस(2)/06–2(15पे0)/2002 दिनांक 4 फरवरी 2006 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 साल्ट एवं स्याल्दे के अन्तर्गत बरकिण्डा मनीला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के रू0 1072.55 लाख के प्राक्कलन पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या 511/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 08.02.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत पेयजल योजना के निमार्ण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सेक्टर की ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंकि आगामी किश्त के प्रस्ताव के पूर्व व्यय वित्त समिति कि शर्त के अनुसार वन भूमि के विषय में वन विभाग को प्रस्ताव भेजकर उनका क्लीयरेंस प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

2– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाय।

क्रमशः 2

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्ग है। स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7– व्यय के सम्बंध में अन्य शर्तें उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 3.02.06 के अनुसार रहेंगी।

8–उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– आयोजनागत –102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00 –20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

6.– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 257/XXVII(2)/2006 दिनांक 24 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 735/उन्तीस(2)/06–2(15पे0)/2004,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त कुमायूं मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सेल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. स्टाफऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव